अमर हिन्दुस्तान

राजधानी देहरादून

देहरादून,

www.am

काईवाईः यूटीयू के कुलपति ने मारा छापा

अमर हिन्दुस्तान

रूड़की/दूहरादून। वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्याल यूटीयू के कुलपति प्रो. ओंकार सिंह ने रूड़की क्षेत्र में पड़ने वाले रूड़की कॉलेज ऑफ फार्मेसी आरसीपी जिसमें विश्वविद्यालय से बी.फार्म एमफार्म, रूड़की कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट आरसीएम में एमबीए और इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी रूड़की आईटीआर में बीटैक पाठ्यक्रम संचालित होते हैं का शुक्रवार को दोपहर 12 बजे के करीब इन संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति ने जब इन तीनों संस्थानों में बी.फार्म व बी.टैक तथा एम.बी.ए. पाठ्यक्रम की कक्षाओं का निरीक्षण किया तो कक्षाओं में एक भी छात्र उपस्थित नहीं पाये गये जिसे देख कुलपति हैरान रह गये।

इस सम्बन्ध में कुलपति ने जब मैन्युअल

उपस्थिति रजिस्टर का निरीक्षण किया तो रजिस्टर में फरवरी, 2024 के बाद की किसी भी छात्र की उपस्थिति का रिकार्ड रजिस्टर में अंकित नहीं पाया गया। और तीनों संस्थानों के निदेशकों से प्रश्न किया गया कि छात्र-छात्राओं की कक्षाओं में उपस्थिति क्यों नहीं है तो उनसे कोई उत्तर नहीं देते बना। इन संस्थानों ने तो इससे एक कदम और आगे बढ़कर फर्जी तरीके से उन

◆आरसीपी,आरसीएम व आईटीआर में कक्षाओं में नहीं मिले एक भी छात्र

छात्र-छात्राओं की उपस्थिति भी विश्वविद्यालय के ऑनलाइन ''युनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम'' पोर्टल पर दर्ज करा दी गयी जिनका मैनुअल उपस्थिति पंजिकाओं में फरवरी, 2024 के बाद कक्षाओं में उपस्थिति का रिकार्ड ही अंकित नहीं है। वहीं शिक्षकों के बारे में पूछा गया तो कुछ एक ही मौजूद थे।

औचक निरीक्षण के दौरान तीनों संस्थानों की शैक्षणिक व्यवस्था की खामियों को देख कर कुलपति ने सख्त नाराजगी जताते हुए उनसे कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति नहीं होने के संबंध में लिखित नोट मांगा गया और चेतावनी दी कि 15 मई, 2024 तक कक्षायें संचालित करने की अंतिम तिथि निर्धारित होने के दृष्टिगत सभी संस्थानों को इस तिथि तक कक्षायें छात्रहित में संचालित करना अनिवार्य है। एवं इस प्रकार कक्षाओं में छात्रों की अनुपस्थिति से उन्हें 20 मई 2024 से आरम्भ हो रही विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर परीक्षाओं में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और यदि छात्रों की कम उपिस्थति के कारण उन्हें परीक्षाओं में नहीं बैठने दिया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदार इन संस्थानों की होगी। और इस तरह से शैक्षणिक व्यवस्थाओं को तार-तार करने का अधिकार संस्थानों को नहीं दिया जा सकता है।साथ ही संस्थानों में शिक्षकों की बड़ी संख्या में अनुपस्थिति के बारे में भी संस्थान निदेशकों को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।